



507/1

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4397 / 05 / 76 / एक / 2016-17
सेवा में,

दिनांक : 14 दिसम्बर 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-हापुड़।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0198000102287147	IFSC Code PUNB0019800	131.137

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	हापुड़	मलिन बस्ती-83 बजट-II	न0पा0प0 गढ़मुक्तेश्वर	मो० नया बांस कालोनी भाग ए में मन्दिर से प्लाट तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.505
2	हापुड़	मलिन बस्ती-83 बजट-II	न0पा0प0 गढ़मुक्तेश्वर	मौ० नया बांस कालोनी भाग बी में गढ़ावली रोड से प्लान्ट तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.740
3	हापुड़	मलिन बस्ती-83 बजट-II	न0पा0प0 गढ़मुक्तेश्वर	मो० नया बांस कालोनी भाग सी में मीरा की रेती मार्ग से गढ़ावली मार्ग तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.623
4	हापुड़	मलिन बस्ती-83 बजट-II	न0पा0प0 गढ़मुक्तेश्वर	मो० छोटा बाजार कालोनी भाग बी में लल्लू के मकान से राजेश के मकान तक सरस्वती स्कूल से शंकर के मकान तक मनोज के मकान से अशोक के मकान तक रामप्रसाद के मकान से अमित के मकान तक एवं राधेश्याम व राकेश वाली गली में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	12.024
5	हापुड़	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 गढ़मुक्तेश्वर	बाल्मीकि बस्ती वार्ड नं०-16 भाग-“ए” में शमशान रोड पर संलग्न गलियों में लक्ष्मी वाली गली, सोना वाली गली, श्रीचन्द्र टॉल वाली गली व बालकनाथ आश्रम से छत्तरपाल वाली गली व संलग्न गली, होशियार से वेदराम वाली गली तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	17.714
6	हापुड़	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 गढ़मुक्तेश्वर	बाल्मीकि बस्ती वार्ड नं०-16 भाग-“बी” में किरन के मकान से मानसिंह के मकान तक व संजय से रामनिवास, लेखराज से देवदत्त, राजेश से ज्ञानी रामा से राकेश, श्रीचन्द्र से रामगोपाल व शीशपाल से कृष्णा के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.353



50/2

दस्तावेज- 2286709
2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय क्विंटाईल का धनराशि का प्रेषण
7	हापुड	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 गढमुक्तेश्वर	बाल्मीकि बस्ती वार्ड नं०-16 भाग-"सी" में सेवासदन से सरस्वती तक, महेश से कुंवरपाल तक व सुरेन्द्र से पुष्पा व सी0सी0 रोड से कुंवरपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	17.589
8	हापुड	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा0प0 गढमुक्तेश्वर	बाल्मीकि बस्ती वार्ड नं०-16 भाग-"डी" में तारकोल सोहन के मकान से महेश के मकान तक व सागर के मकान से कुंवरपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	17.589
	योग				131.137

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि ढुंढा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केंद्र, राज्य व स्थानीय करों की रत्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



507/B

दूरभाष- 2286709

2286710

नया बेलना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

12-

शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक